गोविभा

गोविज्ञान भारती का
संदेशवाहक मासिक

वर्ष : 12 ● अंक : 06 | सम्पादक : नरेन्द्र दुबे, डॉ. पुष्पेन्द्र दुबे 20 सितम्बर, 2014

सीज फायर लाइन यानी रेडी टू फायर

— विनोबा

यहां से थोड़ी ही दूरी पर सीज फायर लाइन (युद्ध बंदी रेखा) है। उधर उन्होंने हजारों सिपाही खड़े कर दिए हैं और इधर इन्होंने खड़े कर दिए हैं। इंसान को इंसान के ही डर से इतना सारा करना पड़ रहा है, यह बड़े दु:ख की बात है।

हमने यहां फौज की एक कतार खड़ी कर दी है और 'उस पार दुश्मन है' ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन अब ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। अगर ऐसी दुनिया चलेगी, तो दुनिया में इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अगर इंसान को जिंदा रहना है तो हमें नये सिरे से दुनिया की योजना बनानी होगी।

सामनेवाले को आप 'दुश्मन' कहते हैं, वे भी आपको 'दुश्मन' कहते होंगे। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी चीज है, जो सिखायेगी कि हम सब एक हैं। विज्ञान के जमाने में 'हम सब एक हैं' - यह भावना रहेगी, तभी हम टिक पाएंगे। इस जमाने में 'जय जगत्' ही बोलना होगा। सब दुनिया की जय हो, सबका भला हो, यही ख्याल रखना होगा।

यहां पर सीज फायर लाइन के इस तरफ हिंदुस्तान की अस्सी हजार फौज खड़ी है, तो उधर पाकिस्तान की उतनी ही फौज खड़ी है। सीज फायर के मानी है कीप रेडी फॉर फायर लाइन। जिस क्षण हुक्म होगा, उस क्षण गोली चलाने के लिए तैयार रहो। इस तरह छोटे-छोटे दिल बनाकर हम एक-दूसरे का डर खरीदते हैं।

आज दुनिया में जितना डर है, उतना पहले कभी नहीं था। बड़े मुल्क भी डरते हैं और छोटे भी। एक-दूसरे के डर से रूस और अमेरिका फौज पर बड़ा भारी खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के डर से फौज रखता है और पाकिस्तान कहता है कि पता नहीं, हिंदुस्तान की नीयत कैसी है, कहीं वह हमला कर दे, तब हम क्या करेंगे? इसलिए हमें तैयार रहना पड़ता है।

हमें समझना चाहिए कि यह इंसानियत नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह खयाली डर है। इसका भी एक सबब (कारण) है, लेकिन उस सबब को हमें उखाड़ना होगा।

हिम्मत चाहिए और हिकमत भी

लेकिन यह मामला यहीं पर रुका हुआ है कि इसकी शुरुआत कौन करे। एक-दूसरे पर एतबार (विश्वास) हो, तो यह कदम उठाने की हिम्मत होगी। एतबार के लिए हिम्मत भी चाहिए और हिकमत (युक्ति) भी। मैं कश्मीरवालों से पूछना चाहता हूं कि यदि यहां से फौज हटायी जाए, तो क्या आप हिम्मत हारेंगे? क्या आपके दिल में धड़कन पैदा होगी? समझना चाहिए कि जो शख्स फौज के भरोसे हिम्मत करता है, बहादुरी दिखाता है, उसकी बहादुरी निकम्मी है। हर नागरिक में यह हिम्मत होनी चाहिए कि कितना भी बड़ा मसला हो, हम उसका मुकाबला अहिंसा से करेंगे। कोई मारने आएगा तो उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। एक दिन तो हमें मरना ही है, इसलिए हम मरेंगे, लेकिन न उसे मारेंगे, न उसके साथ सहयोग करेंगे।

लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है। इंसान इतना ऊंचा नहीं उठ सकता है। इस पर मैं कहता हूं कि जिस जमाने में कुत्ता भी आसमान में चला गया, जो पहले कभी किसी ने मुमकिन नहीं माना था, उस जमाने में क्या इंसान इतना नहीं कर सकेगा? हमें समाज को ऐसी बहादुरी की तालीम देनी होगी।

कोई भी कौम तरक्की करती है, तो वह अपनी हिम्मत पर ही करती है, लश्कर की हिम्मत पर नहीं। अगर लश्कर पर ही सारा दारोमदार रहा, तो लोग बुजदिल बनेंगे, डरपोक बनेंगे। हिंदुस्तान की तवारीख में देखिए। पलासी की लड़ाई में हिंदुस्तान के नसीब का फैसला हुआ। उस लड़ाई में क्लाइव की फौज जीती और दूसरी फौज हारी। इतने में कुल बंगाल क्लाइव के कैंजे में आ गया। बंगाल क्या था? 5 करोड़ लोगों का प्रदेश! एक मैदान में ही वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बड़ी ताज्जुब की बात है। क्या बंगाल मनुष्यों का था या और कुछ? अगर वहां 5 करोड़ भेड़ें होतीं और ऐसा हुआ होता, तो ठीक था। लेकिन लश्कर पर सारा दारोमदार होने से ऐसी हालत हुई। जब तक ऐसी हालत रहेगी, तब तक लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी।

लोगों में यह हिम्मत होनी चाहिए कि हम लश्कर पर अपना दारोमदार नहीं रखेंगे। अपने पांव पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोगों को भी यह हिम्मत करनी चाहिए। मैं जानता हूं, हिंदुस्तान का किसान और पाकिस्तान का किसान - दोनों में प्यार है, द्वेष-मत्सर नहीं है। कहीं भी लोगों में द्वेष, मत्सर नहीं। सब जगह अवाम (जनता) में प्यार है। लेकिन डर छाया है, और यह डर सियासत के कारण छाया है। अवाम निर्भय, निडर होकर रहेगी, तो मुल्क की, देश की अंदरूनी ताकत बढ़ेगी। सिर्फ फौजी ताकत से देश की तरक्की नहीं होती।

— विनोबा साहित्य खण्ड 20

सम्पादकीय

आखिर कब होगी संपूर्ण गोवंशहत्याबंदी ?

जब देश में आजादी आंदोलन चल रहा था, तब अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक बार यह बात दोहराई थी कि जिस दिन देश आजाद हो जाएगा, उस दिन बिना कलम बदले देश में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून लागू कर देंगे। हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के मूल में तो चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से छीलने से इनकार करना ही प्रमुख कारण था। जब यह देश मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में गया, तब भी उन्होंने इस देश की कृषि संस्कृति और बहुसंख्यकों की भावनाओं की कद्र करते हुए गोवंशहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसके लिए जारी किए गए फरमान आज भी पुस्तकालयों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिमबहुल कश्मीर में आज भी गोवंशहत्याबंदी कानून लागू है और इसका उल्लंघन करने वाले को दस साल की सजा का प्रावधान है।

जब संविधान सभा में इस प्रश्न पर चिंतन-मनन हुआ तब संपूर्ण गोवंशहत्याबंदी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। जिस प्रकार राजस्व प्राप्ति के लिए राज्य शराब नीति बनाने के लिए स्वंतत्र हैं, उसी प्रकार राज्यों को गोवंशहत्या बंदी कानून बनाने की आजादी दी गई। हाल ही में जब केरल सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने की पहल की, वैसे ही तमिलनाड सरकार ने केरल राज्य की सीमा पर शराब दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। यह बात तो कोई भी समझ सकता है कि शराब जैसी बुराई को समाप्त करना राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है, उसी प्रकार राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले गोवंशहत्याबंदी कानून से भी गोवंश हत्या रुकने वाली नहीं है।

जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब तक उसने कांग्रेस की गोवंशहत्या नीति को लेकर खूब आलोचना की, लेकिन अब जबकि वह केंद्र में काबिज है, उसके प्रमुख नेताओं के मुख से इस प्रश्न को लेकर कोई सवाल-जवाब नहीं किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के सौ दिनों का ढिंढोरा खूब पीटा जा रहा है। उसमें स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज की कल्पनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, परंतु स्मार्ट विलेज में गोवंश, जिसमें गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी, नंदी इत्यादि का क्या स्थान है, इस बात पर कोई चिंतन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में जिस अलकबीर कतलखाने को बंद करने की मांग को लेकर कभी भारत बंद का नारा बुलंद किया गया था, आज उनकी बोलती बंद है। सौ दिन के बाद भी देश में गोवंश का कतल देश के 3600 लाइसेंस प्राप्त और 30 हजार अवैध कतलखानों में निर्बाध गति से जारी है। आज भी विदेशों को प्रतिदिन सैकड़ों टन मांस निर्यात किया जा रहा है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति के नष्ट होने की जितनी अधिक चिंता चुनाव पूर्व दिखाई दे रही थी, अब वह 'अच्छे दिनों' में बदल गई है। देश के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए सरकार अन्य दलों की सहमति हासिल करने के लिए दिन-रात एक कर रही है, परंतु गोवंशहत्याबंदी के मसले पर चर्चा भी न करना विचारणीय है। लोकसभा चुनाव के पहले 'पिंक रिवॉल्यूशन' शब्द हवा में खूब तैरा, लेकिन चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उसके स्थान पर 'ब्ल्यू रिवॉल्यूशन' शब्द को अपना लिया गया यानी समुद्री जीव-जंतुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य में ही हासिल होगा कि पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी इस देश में संपूर्ण गोवंशहत्याबंदी कानून बनता है अथवा नहीं और मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है अथवा नहीं। इतना भी निश्चित है कि यदि अभी तो कभी नहीं। पूरी दुनिया की अर्थनीति को बदलने की ताकत रखने वाले गोवंशहत्याबंदी के प्रश्न को हल करने से भारत विश्वगुरु का दर्जा हासिल करेगा।

— पुष्पेन्द्र दुबे

इस अंक में ...

- लक्ष्मीनारायण मन्दिर
- खादी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योग आयोग से मुक्त करने की माँग
- केन्द्रीकरण, बाजारवाद और सत्याग्रह

लक्ष्मीनारायण मंदिर : देश का पहला मंदिर जो दलितों के लिए खोला गया

17 जुलाई, 1928 को सुबह 8 बजे भजन-कीर्तन करती अस्पृश्यों की एक टोली ने श्री परांजपे के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया फिर और टोलियां आती गईं और मंदिर में बैठकर भजन-पूजन करने लगीं। उधर सनातनी लोग न तो सत्याग्रह करने आए, न ही किसी तरह का विरोध जताने। उलटे वे सड़क साफ करने वालों को पकड़-पकड़ कर मंदिर में भेजने लगे। ऐसा वे द्वेषवश कर रहे थे, लेकिन यह स्थिति जमनालाल जी के लिए फायदेमंद ही रही। दोपहर 12 बजे तक लगभग दो हजार अस्पृश्यों ने प्रभु-दर्शन का आनंद लिया। जमनालाल जी भाव-विभोर हो गए। मंदिर में आए अस्पृश्यों को देख उन्होंने कहा, 'एक ज्वाला तीन वर्षों से मेरे मन में जल रही थी, आज वह शांत हो गयी।' ये देश का पहला मंदिर था, जो दलितों के लिए खोला गया।

हजारों साल से ब्राह्मणवाद की धौंस से समाज का जो दलित, कुचला और पिछड़ा वर्ग सवर्णो के पावन स्थल कहे जाने वाले मंदिरों की परिधि से बाहर रहा था, वह वर्ग पहली बार महात्मा गांधी के प्रभाव से जिस मंदिर में प्रवेश कर सका वह मंदिर है महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहे जाने वाले वर्धा का लक्ष्मीनारायण मंदिर। पूरे देश में इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व यही है कि 17 जुलाई 1928 को कट्टर सनातनियों के विरोध और उनकी उपस्थिति के बावजूद पहली बार यहां हरिजनों की टोली ने प्रवेश किया और अपने आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनारायण के दर्शन किए। इस प्रकार समाज के दलित हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश का शुभारंभ हुआ। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि 100 साल पूरे होते-होते कोई भी मंदिर तीर्थ स्थान बन जाता है। किंतु वर्धा का लक्ष्मीनारायण मंदिर अपने अद्‌भुत इतिहास के कारण बहुत पहले ही तीर्थ बन गया।

नागपुर से 70 मील दूर भारत के हृदय क्षेत्र में स्थित वर्धा राष्ट्रीय महत्व का स्थान रहा है। वर्धा को यह गौरव पहले आचार्य विनोबा भावे (1921) फिर महात्मा गांधी (1934) द्वारा इसे अपना स्थायी निवास जमनालाल जी के आग्रह से बना लेने के कारण मिला।

सेठ बच्छराज जी बजाज ने लक्ष्मीनारायण मंदिर बनवाया। वे मारवाड़ी समाज के रूई के धनाढ्य व्यापारी थे। उनकी पत्नी सद्‌दीबाई भगवद्‌भक्त सद्‌गृहस्थ थीं। घर में अपार समृद्धि थी किंतु संतान नहीं हुई। एक लड़के रामधनदासजी को गोद लिया। उनका विवाह भी किया, किंतु उनकी अकाल मृत्यु हो गई। रामधनदास जी की विधवा वासंतीदी के लिए और वंश की रक्षा के लिए 4 वर्ष के जमनालाल जी को गोद लिया गया। छोटी उम्र में ही उनकी सगाई जानकीदेवी से कर दी गई। सद्‌दीबाई अपने जमनालाल जी का विवाह न देख सकीं। सन् 1900 में उन्होंने मृत्यु से पहले अंतिम इच्छा प्रकट की जो एक लाख रुपया मेरे नाम से जमा है उससे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण हो। पत्नी के निधन के बाद बच्छराज जी का झुकाव धार्मिकता की ओर बढ़ गया। पत्नी की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए बच्छराज जी ने 1905 में हीरालाल जी फतेहपुरिया की देखरेख में मंदिर निर्माण कार्य आरंभ किया। बच्छराज जी, जमनालाल जी और जानकीदेवी पर एक ही धुन सवार थी - मंदिर अनूठा बनना चाहिए। 7 फरवरी 1908 को बसंत पंचमी के दिन मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा का शुभ दिन आया। बड़ी धूमधाम से प्राण-प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। प्राण-प्रतिष्ठा के साढ़े चार महीने बाद बच्छराज जी गोलोकवासी हो गए।

जमनालाल जी शुरू से ही संस्कारी थे और ईश्वर में उनकी पूरी आस्था थी। विनोबा जी और महात्मा गांधी के विचारों का रंग उन पर काफी चढ़ चुका था। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधीजी ने उन्हें अपना 'पांचवा पुत्र' मान लिया और जमनालाल जी गांधीजी के अनुरूप आचरण भी करने लगे। देश के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में तन-मन-धन से योग देते रहे। घर में परदा छूटा, खादी का प्रवेश हुआ, हर काम में सादगी आने लगी और सोना जेवर आदि नकारे जाने लगे। फिर भी भारतीय समाज में सदियों से पनप रही तरह-तरह की कुरीतियां, खासकर छूआछूत, जात-पात, ऊंच-नीच आदि जमनालाल जी को हमेशा कष्ट देती रहती थीं।

दलितों के उद्धार के लिए गांधीजी के अनेक रचनात्मक कार्यो में जमनालाल जी ने पूर्ण सहयोग दिया। उनका विचार था कि अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुंओं से पानी लेने की छूट मिलनी

चाहिए। लक्ष्मीनारायण मंदिर और धर्मशाला की व्यवस्था सनातनी ट्रस्टियों के हाथों में थी। उन्हें मंदिर के कुंए को अस्पृश्यों के लिए खोलने हेतु मनाना आसान नहीं था। जमनालाल जी प्रयास करते रहे और 1927 में ट्रस्टीगण मान गए। मंदिर और धर्मशाला के कुंए खोल दिए गए।

अब जमनालाल जी अस्पृश्यों के लिए लक्ष्मीनारायण मंदिर खुलवाने में जुट गए। यह काम और भी मुश्किल था। ट्रस्टियों का मानना था कि इससे धर्म डूब जाएगा। उनके बार-बार समझाने पर अंत में ट्रस्टियों ने मंदिर के द्वार दलितों के लिए खोलने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया।

उसके बावजूद अन्य कट्टर सनातनियों का विरोध जारी रहा। जब दलितों के मंदिर में प्रवेश की तारीख नजदीक आने लगी तब वातावरण काफी तनावग्रस्त हो गया। सनातनियों ने निश्चय किया कि मंदिर के सामने सत्याग्रह करेंगे। शासन ने मंदिर को चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेरने की सलाह दी। जमनालाल जी ने हंसकर उनकी बात को टाल दिया। फिर निश्चित तिथि पर यानी 17 जुलाई, 1928 को सुबह 8 बजे भजन-कीर्तन अस्पृश्यों की एक टोली ने श्री परांजपे के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। फिर और टोलियां आती गईं। वे मंदिर में बैठकर भजन-कीर्तन करने लगीं। उधर सनातनी लोग न तो सत्याग्रह करने आए न ही किसी तरह का विरोध जताने। उलटे वे सड़क साफ करने वालों को पकड़-पकड़कर मंदिर में भेजने लगे। ऐसा वे द्वेषवश कर रहे थे, लेकिन यह स्थिति जमनालाल जी के लिए फायदेमंद रही। दोपहर 12 बजे तक लगभग दो हजार दलितों ने प्रभु-दर्शन का आनंद लिया। जमनालाल जी भावविभोर हो गए। मंदिर में आए दलितों को देखकर उन्होंने कहा, ''एक ज्वाला तीन वर्षो से मेरे मन में जल रही थी, आज वह शांत हो गयी। ये देश का पहला मंदिर था, जो दलितों के लिए खोला गया।

अपनी डायरी में जमनालाल जी ने लिखा, 'श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोला गया। आज सुबह से लगाकर रात के 10 बजे तक मंदिर के संबंध में जनता का व्यवहार बहुत ही संतोषप्रद और उत्साहजनक रहा। पूज्य विनोबा जी का भाषण भाव से भरा हुआ था। श्री परांजपे जी का हरिकीर्तन भी ठीक रहा। आज परमात्मा की शक्ति में विशेष श्रद्धा व विश्वास बढ़ा।'

आचार्य विनोबा भावे ने वर्धा के गांधी चौक में भाषण देते हुए कहा था, 'आज मुझे श्री लक्ष्मीनारायण की मूर्तियों में ईश्वर का जो दर्शन हुआ वह कल तक नहीं हुआ था। आज जब मैं श्री विष्णु जी के चरणों पर दृष्टि लगाये हुए था, तब मुझे जो आनंद हुआ वह मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता।'

देशभर में ऐसा क्रांतिकारी काम इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। देश के कोने-कोने से इसका स्वागत हुआ। गांधीजी ने इसकी दिल खोलकर सराहना की। 'यंग इंडिया' के 26 जुलाई 1928 के अंक में उन्होंने लिखा, 'यह बात बहुत ही सार्थक है कि वर्धा जैसे महत्वपूर्ण स्थान में अस्पृश्यों के लिए एक मंदिर का दरवाजा खोला जा सका। यह तो इसका स्पष्ट उदाहरण है कि अस्पृश्यता निवारण आंदोलन ने कितनी उन्नति की है...मैं सेठ जमनालाल जी तथा उनके दूसरे साथी ट्रस्टियों को इस साहस के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस उदाहरण का अनुकरण पूरे भारत में किया जाएगा।

देश के अनेक अन्य बड़े नेताओं और विद्वानों ने भी, जिनमें लाला लाजपतराय, नरसिंह चिंतामणि केलकर, डॉ.भगवानदास, इमाम अब्दुल कादिर भी शामिल थे। इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की। नतीजा यह हुआ कि देशभर में जगह-जगह मंदिरों के द्वार अस्पृश्यों के लिए खुलने की घोषणाएं होने लगीं।

9 फरवरी 1936 के दिन मंदिर के प्रांगण में गांधीजी ने कहा, 'इस मंदिर को खुले यद्यपि पूरे 28 साल हो गए हैं, तब भी मेरी समझ में इसमें भगवान की लक्ष्मी-नारायण की सच्ची प्राण-प्रतिष्ठा तो उस दिन हुई, जिस दिन यह हरिजनों के लिए खोल दिया गया।' कुछ समय बाद लक्ष्मीनारायण मंदिर के ट्रस्टियों ने एक दलित को भी ट्रस्ट का सदस्य बना लिया। एक बात और भी ऐतिहासिक महत्व रखती है - 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के लिए मुंबई जाने से पहले गांधीजी खासतौर पर इस मंदिर में आए और भगवान के दर्शन करके ही आंदोलन पर निकले। वर्धा का गांधी चौक भी इस मंदिर के पास ही है। स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों की होली इसी चौक में जलाई गई थी और बजाज परिवार तथा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने खादी का व्रत लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो यहां देशभर के नेता एकत्र होते ही रहते थे, क्योंकि वर्धा उस आंदोलन का केंद्र बना चुका था। -नयनतारा पाक्षिक से साभार

अपील

प्रिय मित्रों,

किसी भी वैचारिक मासिक पत्रिका का निरंतर 12 वर्षों तक प्रकाशित होते रहना गौरवपूर्ण उपलब्धि से कम नहीं है। यह आप सभी की सहभागिता और मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। समाज में व्याप्त वैचारिक शून्यता की पूर्ति में **गोविभा** पत्रिका कहाँ तक सफल हुई यह तो सुधी पाठक ही बता पाएंगे। नए वर्ष में प्रवेश करते हुए गोविभा परिवार से यह अपील है कि वे इसके आजीवन सदस्य बनें। गोविभा पत्रिका की आजीवन सदस्यता राशि ₹ 1,050 है। सहयोग राशि ₹ 50 है। सुधी पाठक **गोविज्ञान भारती** के नाम का ड्राफ्ट बनाकर डी-37, सुदामा नगर, इन्दौर के पते पर भेज सकते हैं।

आजीवन सदस्यता हेतु संपर्क करें- 097542 20781

Bank

State Bank of India, Gumashta Nagar branch, Indore
Saving A/c No. - 53001234219, Branch Code - 30416,
IFSC Code : SBIN0030416, MICR Code : 452002068,
SWIFT Code - SBININBB691

– संपादक

खादी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योग आयोग से मुक्त करने की मांग

खादी मिशन द्वारा 9-10 सितंबर, 2014 को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित खादी सभा में प्रस्ताव पारित

वर्धा। खादी मिशन द्वारा 9-10 सितम्बर को सेवाग्राम में खादी सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता श्री बालविजय ने की। प्रारंभ में नयी तालीम के विद्यार्थियों ने भजन प्रस्तुत किया। सभा के प्रारंभ से पूर्व में गत खादी-सभा से अब तक खादी मिशन के जिन प्रमुख महानुभावों और अन्य सभी खादी सेवकों जिनमें श्री वी.जी.जोशी बेंगलोर, श्रीमती जयाबहन शाह गुजरात, श्री प्रसन्नवदन भाई गुजरात, श्री अ.व. जोशी बेंगलोर और श्री राधेश्याम शर्मा राजस्थान के निधन से खादी परिवार को जो क्षति हुई है, उसके लिए मौन प्रार्थना द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू-कश्मीर में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है तथा व्यापक रूप से जन-धन हानि हुई है। खादी सभा वहां के भाई-बहनों के प्रति संकट की घड़ी में अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है और वहां की संस्थाएं लोगों को हरसंभव मदद करेंगी।

खादी सभा का शुभारंभ खादी मिशन के संयोजक श्री बालविजय, सह-संयोजक श्री रामेश्वरनाथ मिश्रा, डॉ. विभा गुप्ता और सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के प्रमुख श्री जयवंत म्हटकर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सभा का संचालन श्री रामदास शर्मा ने किया। श्री म्हटकरजी ने देश से आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया। उद्घाटन भाषण में श्री बालविजय जी ने कहा कि आज से 33 वर्ष पहले आज ही के दिन 9 सितम्बर, 1981 को विनोबा जी ने पवनार आश्रम से खादी मिशन का शुभारंभ किया था। उन्होंने अपने प्रथम भाषण में कहा था कि खादी कार्यक्रम को खादी मिशन बनाने और अ-सरकारी असरकारी का मंत्र दिया था। आज 33 साल बाद खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं की जो दशा विपरीत खादी नीतियों के कारण हुई है, उसमें विनोबा जी द्वारा दिया गया अ-सरकारी असरकारी मंत्र ही गांधी प्रणीत खादी संस्थाओं की रक्षा कर उन्हें मजबूती प्रदान कर सकता है। मित्रों, मैंने 17 जून, 2014 को एक पत्र सभी संस्थाओं को भेजकर आह्वान किया था कि उस दिशा में संकल्प, श्रद्धा और समर्पण के साथ कदम उठाने का यही उचित समय है। अगले साल महात्मा गांधी द्वारा पोषित क्रांतिकारी खादी का हम सभी शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, यह अवसर बार-बार नहीं आते। यही अवसर है कि नदी का रूख सदैव के लिए बदल दें, ताकि हम मजबूत हों तथा खादी ग्रामोद्योग-रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वावलंबी और मजबूत बनाया जा सके। श्री बालविजय जी के उद्बोधन के बाद सभा में आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट करते हुए खादी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण ऋण मुक्ति की अविलंब मांग की। यह भी व्यक्त किया गया कि भारत सरकार, खादी ग्रामोद्योग आयोग अभी तक भी ओटीआई, ओपीआर, पोलिवस्त्र रिबेट, आयोग के खादी भवनों में बकाया राशि, सरकारी आपूर्ति की आयोग में बकाया राशि का भुगतान पिछले चार सालों से खादी मिशन द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत बैंक वित्त पर ब्याज सहायता राशि का भुगतान पांच-छः माह से भी अधिक विलंब से किया जा रहा है, जबकि बैंक प्रतिमाह संस्थाओं के खातों में ब्याज की राशि नामें लिख देते हैं, जिस पर ब्याज पर ब्याज तो संस्थाओं को वहन करना पड़ता ही है, बैंक संस्थाओं के खातों को एनपीए करके रिकवरी जैसी कार्रवाई करती है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से एमडीए योजना लागू की, जिसमें प्रति तिमाही भुगतान अगले एक माह में करने का प्रावधान है। किंतु खादी ग्रामोद्योग से दो सालों से अधिक तक का एमडीए भुगतान बकाया है। इन सब कारणों से संस्थाओं की आर्थिक स्थिति निरंतर कमजोर होती जा रही है। इसका सीधा असर करीब 14 लाख कत्तिन-बुनकर कार्यकताओं एवं कामगारों के रोजगार पर पड़ रहा है।

प्रतिनिधियों ने यह भी व्यक्त किया कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया गांधी की खादी विरोधी खादी मार्का रेगुलेशन 2013 को लागू करने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। 10 सितम्बर को खादी मिशन के सह-संयोजक श्री रामेश्वरनाथ मिश्रा और सुश्री विभा गुप्ता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संकलित करके खादी सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

खादी सभा के प्रस्तावों को तत्परता से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई गई– श्री रामेश्वरनाथ मिश्र-संयोजक, सर्वश्री लक्ष्मीचंद्र भंडारी, डॉ. विभा गुप्ता, रमेश सिद्धांति, सेन्थील नाथन्, मनुभाई मेहता और रामदास शर्मा।

प्रस्ताव सं.1 आदर्श ग्राम योजना का समर्थन : भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2014 को आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की है। खादी सभा प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करती है। देश की खादी-ग्रामोद्योगी संस्थाएं आजादी के आंदोलन के समय से ही देश ग्रामीण क्षेत्रों की पिछडी

जनता के उत्थान में एवं खादी-ग्रामोद्योगों व रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामविकास के कार्य में समर्पित भाव से लगी हुई हैं। अत: प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित आदर्श ग्राम योजना को कार्यान्वित करने में खादी-ग्रामोद्योगी संस्थाएं पूरी तत्परता से सहयोग करेगी।

प्रस्ताव सं. 2 - सम्पूर्ण ऋणमुक्ति की जाय : खादी-मिशन के माध्यम से देश की खादी संस्थाएं पिछले पांच वर्षो से खादी रक्षा अभियान चला रही हैं। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी, वित मंत्री जी, भारत सरकार और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनेक ज्ञापनों, पत्रों द्वारा सारी स्थिति का विवरण उल्लेखित करके बार-बार अनुरोध किया प्रस्ताव जा चुका है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी क्षेत्र के सम्पूर्ण ऋण - रु. 2408.02 करोड़ को मुक्त करने हेतु प्रस्ताव काफी समय पूर्व भिजवाया जा चुका है। किन्तु आयोग के आकड़ो के आधार पर सरकार पर केवल रूपये 832.65 करोड़ का आर्थिक भार होगा। शेष राशि बुक-एडजस्टमेन्ट है। इसमें खादी बोर्डस् और व्यक्तिगत दस्तकारों की बकाया ऋण राशि भी सम्मिलित है। यह इसलिए भी जरूरी है कि विनोबा के मंत्र 'अ-सरकारी असरकारी' जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने भी घोषित किया, खादी संस्थाएं इस दिशा में अग्रसर होना चाहती हैं। इस विषय का अध्ययन भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ संस्थाओं/विभागों द्वारा किया जा कर संस्थाओं को ऋण मुक्त करने की अनुशंसा की जा चुकी है। भारत सरकार तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी-मिशन को ऋण मुक्त करने के लिए आश्वासन भी दिया है। किन्तु, अभी तक भारत सरकार ने ऋण मुक्ति के आदेश जारी नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में देश की खादी संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो पा रही है जिसके परिणामस्वरूप, खादी-ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में संस्थाएं समर्थ नहीं है। खादी-मिशन ने भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग के आश्वासन पर खादी रक्षा अभियान को कुछ समय तक के लिए स्थगित किया हुआ है। खादी-मिशन को आशा है कि भारत सरकार इसे गंभीरता से लेकर खादी संस्थाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शीघ्र ही सम्पूर्ण ऋण मुक्ति के आदेश जारी करे।

प्रस्ताव सं. 3 – समस्त रिकवरी स्थगित की जाए : खादी ग्रामोद्योग आयोग एक और संस्थाओं के सम्पूर्ण ऋण-मुक्ति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा कर अनुशंसा करते हैं, दूसरी ओर संस्थाओं से ऋण की किश्त व ब्याज, पैनल ब्याज आदि की रिकवरी की जा रही है, यह अन्तर्विरोधी कार्यवाही है। अत: खादी सभा मांग करती है कि, जब तक सम्पूर्ण ऋणमुक्ति के आदेश जारी न हो तब तक संस्थाओं के सभी प्रकार के ऋण तथा ब्याज आदि की रिकवरी स्थगित की जाए।

प्रस्ताव सं. 4 – खादी मार्का रेगुलेशन 2013 रद्द किया जाए : खादी-मिशन ने अपने पूर्व प्रस्तावों, पत्रों एवं अनेक ज्ञापनों द्वारा भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग को समय-समय पर स्पष्ट किया हुआ है कि, खादी मार्का रेगुलेशन 2013 महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत खादी, ट्रस्टिशिप के सिध्दांतों पर आधारित खादी संस्थाओं, न लाभ न हानि के पध्दति पर आधारित खादी कार्यक्रमों की मूल अवधारणा के विपरीत है। खादी के इसी मूलभूत रचनात्मक सेवाधारित कार्य के कारण संस्थाओं को आजादी के पूर्व से मिल रही अनकों टैक्स - ऑक्ट्राय आदि की छूट से वंचित होना पड़गा। साथ ही, खादी कार्यक्रम व्यक्तिगत व्यवसायियों, फर्म, कॉरपोरेट क्षेत्र की कम्पनियों के हात में मुनाफा कमाने वाली कमोडिटी के रूप में चला जाएगा। जो खादी आजादी के संघर्ष की प्रतीक देश के लिए हेरिटेज है, इस खादी मार्का के प्रावधान खादी के इस हेरिटेज स्वरूप को समाप्त करके मुनाफा कमाने के उद्देश्य से खादी के दोहन करने का प्रतीक है। खादी मार्का रेगुलेशन 2013 को लागू करने से पूर्व खादी-मिशन/खादी संस्थाओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया। खादी-मिशन ने महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत सरकार को खादी मार्का लागू करने से पूर्व इसके दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इसे लागू नहीं करने का अनुरोध किया था।

खादी-सभा बड़े खेद के साथ उल्लेखित करती है कि जिस खादी कार्यक्रम और खादी संस्थाओं को ब्रिटिश राज के समय प्रिवी कौंसिल ने समाज कल्याण का कार्य करने वाले चॅरिटेबल टंस्ट मानकर आयकर से मुक्त करने का निर्णय किया था, आज़ाद भारत में खादी प्रणित उन्ही खादी संस्थाओं व खादी को लाभ कमाने वाली कमोडिटी मानकर पूर्ववर्ती भारत सरकार ने खादी मार्का रेगुलेशन 2013 जैसा काला कानून खादी संस्थाओं पर थोप दिया। इससे अधिक शर्मनाक कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके बावजूद इसको आनन-फानन में लागू किया गया और अब संस्थाओं को इसे मान्य करने के लिए दबाया जा रहा है। अत: खादी सभा भारत सरकार से मांग करती है कि, गांधी जी की खादी विरोधी खादी मार्का रेगुलेशन 2013 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। खादी सभा ने यह भी निर्णय किया कि, यदि इस खादी-विरोधी खादी मार्का को रद्द नहीं किया गया तो खादी-मिशन को बाध्य हो कर राजघाट, नई दिल्ली पर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करना पड़ेगा। खादी-मिशन आशा करता है कि भारत सरकार ऐसी स्थिति नहीं आने देगी।

प्रस्ताव सं. 5 – ऋण से अधिक संस्थाओं के सम्पत्तियों के कागजात लौटाए जाएं : खादी-मिशन द्वारा पांच वर्ष से निरन्तर अनेको ज्ञापनों पत्रों व प्रस्तावों द्वारा भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग से मांग की है कि, खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास संस्थाओं की सम्पत्तियों के सम्पूर्ण मूल कागजात जो इक्विटेबल मोर्गज के रूप में रखे हुए हैं वह आयोग द्वारा संस्थाओं को दिए गए ऋण राशि से कई गुणा अधिक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के लोन रूल्स तथा ऋण सिक्युरिटी कानून के अनुसार ऋण के बराबर से अधिक की सिक्युरिटी गैरकानूनी है। खादी-मिशन ने इस बाबत विवरण सहित ज्ञापन भारत

सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग को इस अनुरोध के साथ भिजवाए हैं कि आयोग संस्थाओं के ऋण राशि से अधिक की सम्पत्तियां तत्काल लौटाएं ताकि संस्थाएं इनका उपयोग खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यकारी पूंजी की उपलब्धता के लिए कर सके। अभी तक इस बारे में आयोग ने उपयुक्त कार्यवाही नहीं की है। अत: खादी सभा पुन: भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग से मांग करती है कि ऋण से अधिक संस्थाओं के सम्पत्तियों के कागजात लौटाने की शीघ्र कार्यवाही की जाए ताकि, इस गैरकानूनी कार्यवाही के कारण कानूनी हस्तक्षेप की स्थिति से बचा जा सके।

प्रस्ताव सं. 6 : भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 01.04.2010 से रिबेट के स्थान पर एमडीए योजना लागू की थी। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आयोग भुगतान की कार्यवाही नहीं कर रहा है तथा आयोग द्वारा बकाया एमडीए का भुगतान करते समय अनेक नई-नई शर्तें जोड़ने के कारण संस्थाओं को कठिनाईयां हो रही है। संस्थाओं की बड़ी राशि बकाया एमडीए में रूक जाने के कारण कत्तिन-बुनकर-कामगारों को उनकी मजदूरी भुगतान करना कठिन हो गया है। अनेकों बार भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग को इस बाबत अवगत कराने के बावजूद इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अत: ऐसी परिस्थिति में खादी सभा में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि, दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से आरंभ होनेवाले तिमाही के लिए संस्थाएं एमडीए क्लेम नहीं करेगी। यह भी निर्णय किया गया है कि, ग्राहको को एमडीए देने हेतु कॉस्ट चार्ट में प्रावधान करने अथवा अन्य विकल्प हेतु गहराई से विचार-विमर्श कर योग्य पद्धति निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही, उपरोक्त निर्णयों को भारत सरकार/खादी ग्रामोद्योग आयोग के स्तर पर प्रभावी ढंग से रख कर फॉलोअप करने के लिए एक ऍक्शन कमिटी का गठन करने का अधिकार खादी-मिशन के संयोजक श्री बालविजय जी को दिया गया। यह कमेटी एमडीए की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी देश की संस्थाओं को देवें एवं उक्त निर्णयों के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करे।

प्रस्ताव सं. 7 : खादी-मिशन का मुख्यालय गोपुरी, वर्धा से संचालित होता रहा है। खादी सभा ने सर्वसम्मति से इसका स्थाई मुख्यालय वर्धा में बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने के लिए श्री बालविजय जी से अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव सं. 8 : खादी-मिशन के मुख्यालय को पूरी सक्रियता से संचालन करने तथा आज की परिस्थितियों में देश की संस्थाओं के साथ निरन्तर संवाद व उनकी मदद करने की दृष्टि से खादी सभा ने विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय किया गया है कि इस कार्य के लिए रु. 5 करोड़ का कारपस फण्ड एकत्रित किया जाए। देश की संस्थाओं ने इसके लिए अपना सक्रिय सहयोग एवं उत्साह जाहिर किया तथा खादी सभा में हीं व्यक्तिगत सहयोग राशि जमा करा कर कारपस फण्ड का शुभारम्भ किया। खादी सभा ने श्री बालविजय जी से अनुरोध किया है कि वे इस कार्य के लिए प्रदेशों का दौरा कर संस्थाओं से सम्पर्क करने का कष्ट करे, श्री बालविजय जी ने इस कार्य के लिए तीन महिने का समय देने का निश्चय जाहिर किया। सामूहिक शान्ति मंत्र पाठ के साथ दो दिवसीय खादी सभा का समापन किया गया।

— बालविजय
अध्यक्ष/संयोजक, खादी-मिशन

ईश्वर की महिमा

एक फकीर यात्रा करते हुए कही जा रहा था। घने जंगल से गुजरते हुए उसे कई दिनों तक कोई बस्ती नहीं मिली। जंगली फल–फूल खाकर फकीर ने कई दिन बिताए। एक दिन फकीर ने सोचा, कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो बेहतर होगा। फकीर को भरोसा था ईश्वर सबका ध्यान रखता है। इसलिए उसने ईश्वर को कहा–हे प्रभु तुम्हीं पालनहार हो। कई दिनों से रोटी नहीं मिली तुम्हीं कहीं से इसका जुगाड़ करो। आखिर चोच दी है तो चना भी खाने को दो। ये कहते हुए वह एक पेड़ पर चढ़ बैठा। दोपहर का वक्त था।

एक नवाब अपने लोगों के साथ वन भ्रमण करते हुए उधर से गुजरा। उसके साथ वजीर और दो सिपाही थे। वे सब उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठे। घनी छाया में आराम फरमाते हुए नवाब ने कहा–चलो आज खाना यहीं बनाया जाए। दानों सिपाहियों ने नवाब और वजीर समेत चार–पांच लोगों का खाना बना लिया। नवाब के सामने गरमागरम– नरमानरम चकाचक छप्पन भोग परोसे गए। नवाब ने हाथ जोड़कर ईश्वर से कामना की–हे प्रभु! रोज मैं महल में किसी फकीर को भोजन देकर भोजन करता हूं। आज इस घनघोर जंगल में किसी दरवेश के दर्शन करा दे तो मैं भोजन करूं। नवाब की प्रार्थना सुनते ही पेड़ पर बैठे फकीर ने जोर से खांस दिया ।

नवाब ने ऊपर देखा और बोला– धन्यवाद परवरदीगार आखिर तुनें मेरी दुआ कबूल कर ली। घर बैठे गंगा भेज दी। नवाब ने फकीर को प्रेमपूर्वक नीचे आकर भोजन करने को कहा। फकीर ने भोजन कर नवाब के सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया–हे प्रभु तेरी महिमा निराली है। कीड़े को कण और हाथी को मण आप ही देते हैं। देने वाला तो खुदा ही है, बंदे को तो बस खांसना पड़ता है। ये कहते हुए फकीर ने अपना इकतारा बजाया और आगे के सुर के लिए चल पड़ा।

रजि. MPHIN/2003/11246
Postal Reg. ICD. (MP) 1106/2012-14
गोविभा
20 सितम्बर, 2014

केंद्रीकरण, बाजारवाद और सत्याग्रह

— कांतिशाह

यद्यपि आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक ने मनुष्य जीवन को सरल बनाने के बहुतेरे प्रयास किए, परंतु यह व्यवस्था अपने साथ में दो चीजें लेकर आई एक केंद्रीकरण और दूसरा बाजारवाद। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विस्तार होता गया, वैसे-वैसे केंद्रीकरण और बाजारवाद दुनिया में फैलता चला गया। हरेक देश की महत्वाकांक्षा दुनिया पर राज करने की होती चली गई। औद्योगिक क्रांति होने से पहले यह काम प्रत्यक्ष युद्ध से किया जाता था। अब इसका स्थान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ले लिया है। जब दुनिया ने विश्व अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया तब ऐसा माना गया था कि इससे दुनिया की गरीबी, शोषण, असमानता मिटाने में सहायता मिलेगी, परंतु आज समृद्धि के कुछ पहाड़ों के नीचे करोड़ों लोग अपने आपको ज्यादा पीड़ित और असहाय स्थिति में पा रहे हैं।

आज मनुष्य की लालसा प्रकृति पर विजय पाने की ही नहीं रह गयी है, बल्कि वह प्रकृति से आगे निकल जाना चाहता है। दुनियाभर की सरकारें हमेशा ऐसा दावा तो करती हैं कि वे प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग मनुष्यता की भलाई के लिए करेंगी, परंतु यथार्थ में ऐसा होता दिखाई नहीं देता। दुनिया चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की अनुमति सरकारें ही देती हैं और जब प्रकृति पलटकर बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा के रूप में बदला लेती है, तब उसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों काल के गाल में समा जाते हैं, जैसा पिछले साल बद्रीनाथ-केदारनाथ में हुआ या हाल ही में कश्मीर में हुआ। वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का रक्षण करना सरकारों के बूते से बाहर हो गया है। केंद्रीकरण और बाजारवाद की हिमायती सरकारों से इसके रक्षण की अपेक्षा करना बेमानी है। केंद्रीकरण और बाजारवाद के मूल में पैसे की अर्थव्यवस्था काम कर रही है, जिसने मनुष्य को कब का बेदखल कर दिया है।

पैसे की अर्थव्यवस्था से परस्परावलंबन का भाव तिरोहित हो गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो दुनियाभर में अरबों रुपये से संचालित होने वाले गैरसरकारी संगठनों की मदद से गरीबी और शोषण का नामोनिशान कबका मिट जाता। कभी प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया गया था। मनुष्य ने जब से स्वयं को प्रकृति से अलग मानना प्रारंभ किया है, तभी से संकट खड़ा हुआ है। प्रकृति का आधार तो देने के सिद्धांत पर टिका हुआ है, लेने के नहीं। परंतु मनुष्य ने इसे उलट दिया है। उसका एकमात्र विश्वास लेने पर है, लौटाने में नहीं। इसलिए आज के मनुष्य पर सरकारवाद हावी हो गया है। जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, इससे जन्म से लेकर मरण तक की सारी जिम्मेदारी सरकारों ने अपनी समझ ली है।

आज सरकार ने व्यक्ति के साथ-साथ समाज को भी बेदखल कर दिया है। केंद्रीकरण और बाजारवाद सरकार को सर्वाधिक प्रिय है। इससे मुक्ति का मार्ग सत्याग्रह से ही निकल सकता है। व्यक्ति के मन में उठने वाली विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को विवेक की कसौटी पर कसना सत्याग्रह का ही प्रकार है। इसलिए रचनात्मक कार्य और सत्याग्रह की स्थिति मनुष्य के सामने हमेशा ही उपस्थित रहती है। अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य समाज ने केंद्रीकरण की योजना की। इसके केंद्र में पैसे को रखा गया। इससे सत्ता को महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य प्रकृति का ही अभिन्न हिस्सा है, परंतु उसने प्रकृति की त्यागमय प्रवृत्ति के खिलाफ भोगमय जीवन को प्रधानता दी। इसलिए मनुष्य और प्रकृति में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मनुष्य आंतरिक और बाह्य प्रकृति के खिलाफ जाकर शांति की तलाश में यहां-वहां ठोकरें खाता रहता है। यदि उसे वास्तविक शांति हासिल करना है तो विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के मार्ग के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है।

प्रकाशक :
नरेन्द्र दुबे, कार्याध्यक्ष, गोविज्ञान भारती
द्वारा मुंबई सर्वोदय मण्डल, 299, ताड़देव रोड, नानाचौक
मुंबई-400 007, फोन : (022) 23872061

डी-37, सुदामा नगर, इन्दौर-452 009
फोन : 0731-2489475, मो.: 97542 20781
www.govigyan.org ● e-mail : vinobaji1@gmail.com
prof.pushpendra@gmail.com

मुद्रण : श्रीकृति ग्राफिक्स, बी-133, सुदामानगर, इन्दौर
मो.: 98269 51703

आजीवन शुल्क : 1,000 ● वार्षिक शुल्क : ₹ 50 ● एक प्रति : ₹ 5

गोविभा
रजि. MPHIN/2003/11246
पोस्टल रजि.आई.सी.डी. (एम.पी.) 1106/12-14

सेवा में,